**दिल्ली उच्च न्यायालय : नई दिल्ली**

**सुरक्षित: 29 नवंबर, 2013**
**निर्णयः 24 जनवरी, 2014**

**<u>आप.अ. 583/2000</u>**

राशिद ..... अपीलार्थी

द्वारा: श्री एस.के. भल्ला, अधिवक्ता।

बनाम

राज्य ....प्रत्यर्थी

द्वारा: श्री लवकेश साहनी, अति.लो.अभि.।

**कोरमः**
**माननीय न्यायमूर्ति श्री एस.पी. गर्ग**

**<u>न्या. श्री एस.पी. गर्ग</u>**

1. राशिद (अपीलार्थी) ने सत्र मामला सं. 116/98 में विद्वान अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के दिनांक 15.09.2000 के निर्णय की वैधता और शुद्धता को चुनौती दी है, जो प्राथमिकी सं. 431/98 थाना सुल्तानपुरी से उद्भूत हुआ था, जिसके अंतर्गत उसे भा.दं.सं. की धारा 304/324 के अंतर्गत दंडनीय अपराध करने के लिए दोषी सिद्ध किया गया था। दिनांक 19.09.2000 को दंडादेश के आदेश द्वारा, उसे भा.दं.सं. की धारा 304 के

अंतर्गत 1,000/- रुपये जुर्माने के साथ सात वर्ष के सश्रम कारावास और भा.दं.सं. की धारा 324 के अंतर्गत 500/- रुपये जुर्माने के साथ एक वर्ष के सश्रम कारावास का दंडादेश दिया गया था। दोनों दंडादेश एक साथ चलने थे।

2. अपीलार्थी के विरुद्ध आरोप थे कि दिनांक 03.07.1998 को सुबह लगभग 08.00 बजे हनुमान मंदिर, पी-4 ब्लॉक, सुल्तानपुरी के सामने, उसने और उसके सहयोगी हरीश कुमार ने अनिल कुमार, घनश्याम और धनी राम को चोटें पहुंचाईं। धनी राम की चोटों के कारण मृत्यु हो गई और शव का शव-परीक्षण किया गया। अन्वेषण के दौरान, तथ्यों से परिचित साक्षियों के बयान अभिलिखित किए गए। अन्वेषण पूर्ण होने के बाद, अपीलार्थी और हरीश कुमार के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 304/324/34 के अंतर्गत अपराध करने के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। दिनांक 01.02.1999 के आदेश के द्वारा, हरीश को उन्मोचित कर दिया गया। अपीलार्थी के विरुद्ध भा.दं.सं. की धारा 304/324 के अंतर्गत आरोप विरचित किए गए, जिसमें उसने स्वयं को निर्दोष बताया और विचारण की मांग की। आरोप को पुख्ता करने के लिए अभियोजन पक्ष ने सात साक्षियों की परीक्षा की। 313 के बयान में अपीलार्थी ने झूठा आलिप्त करने का अभिवाक् किया और और दावा किया कि जब मौके पर उपस्थित लोगों ने उन्हें पानी की टंकी से जबरन पानी नहीं भरने दिया तो शिकायतकर्ता पक्ष ने उन पर हमला किया और उन्हें घायल कर दिया। ब.सा.-1 (रहमित उल्लाहा), ब.सा.-2 (सूरज पाल) और ब.सा.-3

(चमन लाल) उनकी प्रतिरक्षा में उपस्थित हुए। साक्ष्यों का अंकन करने और पक्षकारगण के परस्पर विरोधी प्रतिविरोधों पर विचार करने के बाद, विचारण न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय द्वारा राशिद को पहले बताए गए अपराधों के लिए दोषी सिद्ध किया। व्यथित होने के कारण, अपीलार्थी ने अपील प्रस्तुत की है।

3. मैंने पक्षकारगण के विद्वान अधिवक्ता को सुना है और अभिलेख का परीक्षण किया। अपीलार्थी के अधिवक्ता ने आग्रह किया कि विचारण न्यायालय ने साक्ष्य को उसके सही और उचित परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा और स्वतंत्र पुष्टि के बिना इच्छुक साक्षियों के परिसाक्ष्य पर निर्भरता व्यक्त करके गंभीर गलती की। विचारण न्यायालय ने यह नहीं देखा कि मृतक के संबंधियों की आंखों से देखे गए परिसाक्ष्य चिकित्सीय साक्ष्य से अलग थे। अभि.सा.-1 (अनिल कुमार) और अभि.सा.-2 (घनश्याम) के लिए यह देखना बेहद असंभव था कि धनी राम को चोटें कैसे और किसने पहुंचाईं, जबकि उन पर कथित तौर पर एक साथ हमला किया गया था। अभि.सा.-1 और अभि.सा.-2 के बयानों में उभरने वाली महत्वपूर्ण विसंगतियों और विरोधाभासों की बिना किसी वैध कारण के अनवेक्षा कर दी गई। अधिवक्ता ने नरम रुख अपनाने के लिए वैकल्पिक तर्क अपनाया क्योंकि राशिद पहले ही 13 महीने अभिरक्षा में बिता चुका था। विद्वान अतिरिक्त लोक अभियोजक ने आग्रह किया कि आक्षेपित

निर्णय साक्ष्य के निष्पक्ष अंकन पर आधारित है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

4. यह स्वीकार किया गया है कि विवाद दिनांक 03.07.1998 को सुबह लगभग 08.00 बजे घटनास्थल पर हुआ था, जब अभि.सा.-1 (अनिल कुमार) पानी की टंकी से पानी लेने गया था। इस बात से भी इनकार नहीं किया गया है कि उक्त झगड़े में अभि.सा.-1 (अनिल कुमार), अभि.सा.-2 (घनश्याम) और धनी राम को चोटें आईं। अपीलार्थी का प्रतिविरोध है कि उसने चोटें नहीं पहुँचाई थी और ये चोटें पानी की टंकी पर पहले से उपस्थित व्यक्तियों द्वारा पहुंचाई गई थीं, जिन्होंने शिकायतकर्ता पक्ष को अपनी बारी आने से पहले पानी की टंकी से पानी भरने की अनुमति नहीं दी थी और वे अपने परिवार में विवाह के कारण प्राथमिकता के आधार पर पानी लेना चाहते थे। अपीलार्थी का आगे का प्रतिविरोध यह है कि उसे भी शिकायतकर्ता पक्ष के हाथों चोटें आईं और उसकी चिकित्सीय परीक्षा की गई।

5. घटना सुबह करीब 08.00 बजे हुई, जिसमें अभि.सा.-1 (अनिल कुमार), उसके पिता अभि.सा.-2 (घनश्याम) और दादा (धनी राम) घायल हो गए। झगड़े की सूचना मिलने पर सुबह 08.25 बजे थाना सुल्तानपुरी में दैनिक डायरी (डीडी) सं. 21 ख (प्रद.अभि.सा.-5/क) अभिलिखित की गई। अन्वेषण को उप-निरी. श्री किशन को सौंपा गया, जो कांस्टेबल पूरन मल के साथ घटनास्थल पर गया। घायलों को पहले ही डीडीयू अस्पताल ले जाया जा

चुका था। धनी राम के एमएलसी (प्रद.अभि.सा.-5/ख) और घनश्याम के एमएलसी (प्रद.अभि.सा.--5/ग) ने अपने आगमन का समय क्रमशः सुबह 09.23 बजे और सुबह 09.57 बजे अभिलिखित किया। अन्वेषक अधिकारी ने अनिल कुमार का बयान (प्रद.अभि.सा.-1/क) दर्ज करने के बाद बिना किसी अनुचित विलंब के प्रथम सूचना रिपोर्ट अभिलिखित की। बयान में, शिकायतकर्ता-अनिल कुमार ने प्रकट किया कि लगभग 1 बजे, वह हनुमान मंदिर, पी-4 ब्लॉक, सुल्तानपुरी के पास एक पानी की टंकी से पानी लेने गया था, जहाँ भारी संख्या में भीड़ मौजूद थी। पी-4 ब्लॉक में रहने वाले राशिद और हरीश पानी की टंकी से पानी ले रहे थे। उन्होंने राशिद से अनुरोध किया कि उन्हें अपने घर पर विवाह के कारण पानी लेने की अनुमति दी जाए। उस पर राशिद ने उसे घूसों से पीटना शुरू कर दिया। हरीश ने भी उसे पीटा। जब उसके पिता और दादा को झगड़े के बारे में पता चला, तो वे हस्तक्षेप करने के लिए मौके पर पहुंचे। हरीश मौके से भाग गया और राशिद अपने घर की छत पर चला गया और उन पर ईंटें फेंकने लगा जिसके परिणामस्वरूप उसके पिता और दादा के सिर पर चोटें आईं। दाहिने हाथ में एक नुकीली वस्तु के साथ हाथापाई में उसे चोट भी लगी।

6. घटना की सूचना देने वाले द्वारा घटना की त्वरित और समय से पहले रिपोर्ट करना, उसके सभी विस्तृत विवरणों के साथ, घटना के वास्तविक विवरण के विषय में आश्वासन देता है। इस मामले में, प्राथमिकी तत्परता से

दर्ज की गई और शिकायतकर्ता - अनिल कुमार, जिसकी मौके पर उपस्थिति निर्विवाद है, ने घटना का विस्तृत विवरण किया और राशिद पर अपने घर की छत से ईंटें फेंकते हुए अपने पिता और दादा को घायल करने का आरोप लगाया। चूंकि प्राथमिकी बिना विलंब के अभिलिखित की गई थी, इसलिए शिकायतकर्ता द्वारा इतने कम अंतराल में झूठी कहानी गढ़ने की संभावना कम थी। शिकायतकर्ता ने घटना की उत्पत्ति के विषय में विस्तार से बताया। अनिल कुमार ने न्यायालय में अभि.सा.-1 के रूप में उपस्थित होकर पुलिस को दिए गए बयान को बिना किसी परिवर्तन के यथाशीघ्र सिद्ध किया। उसने अभिसाक्ष्य दिया कि जब वह पानी की टंकी से पानी लेने गया तो वहां अन्य लोगों के साथ राशिद भी खड़ा था। उसने उनसे कहा कि उनके परिवार में विवाह होने के कारण उसे पहले पानी लेने दिया जाए, जिस पर अभियुक्त ने आपत्ति जताई। उसने और उसके साथी ने उसे पीटना शुरू कर दिया। जब उसके परिवार वालों को पता चला तो उसके पिता और दादा वहां आ गए। राशिद अपने घर की छत पर गया और पत्थरबाजी शुरू कर दी, जो उसके पिता और दादा को लगी और उनके सिर पर चोटें आईं। उन्हें अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने उसका बयान अभिलिखित किया (प्रद.अभि.सा.-1/क)। उसके दादा की सफदरजंग अस्पताल में मृत्यु हो गई। प्रतिपरीक्षा में, उसने इस बात से इनकार किया कि उसके द्वारा दिए गए बयान को न्यायालय के बाहर पुलिस द्वारा सिखाया गया था। उसने इस बात से इनकार किया कि

उसने राशिद और हरीश के बर्तन हटा दिए थे और जबरन बारी से पानी लेना चाहा था। उसने इस बात से इनकार किया कि जब उसने जबरन बारी से पानी लेने की कोशिश की, तो उसे वहां इकट्ठा हुए "अन्य व्यक्तियों" ने पीटा था, न कि अभियुक्त ने। उसने आगे इस बात से भी इनकार किया कि उसने अपीलार्थी और हरीश को पीटा था। साक्षी के परिसाक्ष्य की जांच करने पर, यह पता चलता है कि उसके द्वारा बताए गए तथ्यों को प्रतिपरीक्षा में चुनौती नहीं दी गई और उनका खंडन नहीं किया गया। उसके बयान को खारिज करने के लिए कोई भी भौतिक विसंगति नहीं पाई जा सकी। घटनास्थल पर अपीलार्थी की उपस्थिति को चुनौती नहीं दी गई है। इलाके के निवासी पानी की टंकी से पानी लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। अपीलार्थी के आस-पास रहने वाले लोग उसे अवश्य जानते होंगे। यद्यपि, उसने ऐसे किसी भी व्यक्ति का नाम नहीं बताया, जिसके साथ पीड़ितों का टकराव हुआ था; और उन पर हमला किया गया और उन्हें घायल किया गया। अभि.सा.-2 (घनश्याम), अनिल कुमार के पिता ने उसके परिसाक्ष्य को पूर्ण रूप से संपुष्ट किया है और राशिद पर आरोप लगाया है कि उसने अपने घर की छत से ईंटों से उसे और उसके पिता को घायल किया। फिर से, प्रतिपरीक्षा में कोई भी ऐसी भौतिक विसंगति नहीं पाई गई जिससे उन्हें अविश्वास हो। उसने इस बात से भी इनकार किया कि उन्होंने राशिद को अपनी बारी पर पानी लेने से जबरन रोका और उस पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। उन्होंने आगे इस

बात से भी इनकार किया कि उनका टैंकर से पानी लेने वालों से झगड़ा हुआ था। पुनः, इस घायल साक्षी के पास राशिद को झूठा आलिप्त करने का कोई गुप्त उद्देश्य नहीं था, जिसके साथ उसकी कोई पूर्व शत्रुता नहीं थी। एक घायल साक्षी के परिसाक्ष्य की अपनी प्रासंगिकता और प्रभावकारिता होती है। यह कानून का एक स्थापित प्रावधान है कि स्टाम्प साक्षी के साक्ष्य को उचित महत्व दिया जाना चाहिए क्योंकि घटनास्थल पर उसकी उपस्थिति पर संदेह नहीं किया जा सकता है। उसका बयान आम तौर पर बहुत विश्वसनीय माना जाता है और यह असंभव है कि वह किसी अन्य को झूठा आलिप्त करने के लिए वास्तविक हमलावर को छोड़ देंगे। विधि में घायल साक्षी के परिसाक्ष्य को विशेष दर्जा दिया गया है। घायल साक्षी पर संदेह करने के लिए पुख्ता साक्ष्य की जरूरत होती है। इस मामले में पीड़ित क्रमशः अभि.सा.-2 और अभि.सा.-1 का पिता और दादा था और उनसे यह प्रत्याशा नहीं की जा सकती थी कि वे असली अपराधी को बरी कर देंगे और किसी निर्दोष को झूठे आरोप में आलिप्त कर देंगे।

7. अभि.सा.-2 (घनश्याम) को पीसीआर के हेड कांस्टेबल रघुबीर द्वारा डीडीयू अस्पताल ले जाया गया और उसे सुबह 09.57 बजे भर्ती कराया गया। एमएलसी (प्रद.अभि.सा.-5/ग) तैयार की गई और चोटों की प्रकृति को "साधारण" माना गया जो स्थूल वस्तु के कारण हुई थी। अभि.सा.-6 (डॉ. नारनवरे, मु.चि.अधि., डीडीयू अस्पताल) ने एमएलसी (प्रद.अभि.सा.-5/ग) पर

डॉ. आलोक के हस्ताक्षरों की पहचान की। धनी राम को भी डीडीयू अस्पताल ले जाया गया और उसे पीसीआर के हेड कांस्टेबल रघुबीर द्वारा सुबह 09.23 बजे भर्ती कराया गया और एमएलसी (प्रद.अभि.सा.-5/ख) डॉ. आलोक द्वारा तैयार की गई और अभि.सा.-6 (डॉ. नारनवरे, मु.चि.अधि., डीडीयू अस्पताल) द्वारा प्रमाणित की गई। धनी राम का इलाज जारी रहा और दिनांक 18.07.1998 को चोटों के कारण उसकी मृत्यु हो गई शव का शवपरीक्षण अभि.सा.-3 (डॉ. बी. स्वानी, मु.चि.अधि. सफदरजंग अस्पताल) द्वारा दिनांक 19.07.1998 को किया गया। अभि.सा.-रिपोर्ट की परीक्षा (प्रद.अभि.सा.-3/क) में शरीर पर निम्नलिखित बाहरी चोटों का उल्लेख है:

> *"1. खरोंच 3x2 से.मी. बाएं कान के ऊपर 6 से.मी. बाएं टर्मपोरपरीटल क्षेत्र पर मौजूद है।*
> *2. बाएं माथे पर आंख की भौंह के बीच से 5.5 सेंटीमीटर ऊपर खरोंच*
> *3. 10 से.मी. लंबाई का चिपका हुआ घाव दाहिने सामने से दाएं लौकिक क्षेत्र तक फैला हुआ है। चोटें यू शेप में थीं।*
> *4. दाहिनी भुजा से 8 से.मी. ऊपर दाहिने अग्रपटल क्षेत्र पर मौजूद खरोंच 4x2 से.मी.।*
> *5. दाहिने कान से 5 से.मी. ऊपर दाहिने अस्थायी क्षेत्र पर खरोंच*
> *6. दाहिनी जांघ के ऊपर 3x2 सेमी खरोंच*
> *7. बाईं जांघ के किनारों के शीर्ष पर 4x3 से. मी. खरोंच जो संक्रमण दिखा रहा है।*

*8. अंतर्गर्भाशयी क्षेत्र में 7x5 से. मी. शय्या व्रण।"*

चोटें मृत्यु से पहले की प्रकृति की थीं और मृत्यु का कारण स्थूल बल के प्रभाव के परिणामस्वरूप कपाल-मस्तिष्क की चोटें (सिर की चोटें) थीं। चोट सं. 1 से 5 तक की चोटें प्रकृति के सामान्य क्रम में व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से मृत्यु का कारण बनने के लिए पर्याप्त थीं। प्रतिपरीक्षा में, साक्षी ने कहा कि चोट सं. 1 किसी स्थूल वस्तु जैसे दूर से फेंकी गई ईंट से हो सकती है। चोट सं. 1 या 2 में संक्रमण का कोई संकेत नहीं था। चोट सं. 3 एक शल्य चिकित्सा हस्तक्षेप थी। चोट सं. 8 एक शय्या व्रण(बेडसोर) था। 1 से 7 तक की चोटें लगभग एक ही समय की थीं। जाहिर है, नेत्र और चिकित्सा साक्ष्य के बीच कोई बड़ा संघर्ष नहीं था। यह सामान्य विधि है कि चिकित्सा साक्ष्य और मौखिक साक्ष्य के बीच मामूली अंतर बाद की प्राथमिकता को खत्म नहीं करता है। जब तक चिकित्सा साक्ष्य इस हद तक आगे नहीं बढ़ जाते कि प्रत्यक्षदर्शी साक्षियों द्वारा बताई गई तरह से चोटें लगने की किसी भी संभावना को पूर्ण रूप से खारिज कर दिया जाए, तब तक उनके परिसाक्ष्य को अस्वीकार या खारिज नहीं किया जा सकता। चूंकि, अभि.सा.-1 और अभि.सा.-2 को हाथापाई में चोटें आई थीं और उन सभी पर एक साथ ईंट-पत्थर फेंके गए थे, इसलिए अभि.सा.-1 और अभि.सा.-2 द्वारा मृतक के शरीर पर लगी चोटों की संख्या को ठीक से न देख पाने की संभावना से

इनकार नहीं किया जा सकता था। वे निश्चित थे कि अभियुक्त द्वारा ईंटें फेंकने के कारण धनी राम के सिर में गंभीर चोटें आई थीं। ईंटों से पीड़ित को लगी चोटों और उसकी मृत्यु के बीच सीधा संबंध था। पीड़ित लगभग पंद्रह दिनों तक अस्पताल में भर्ती रहा। घटना के तुरंत बाद चिकित्सा उपचार उपलब्ध होने के बावजूद, वह जीवित बच पाने में असमर्थ रहा। यह उस प्रभाव और बल को दर्शाता है जिसके साथ अपीलार्थी द्वारा ईंटों से चोटें पहुंचाई गई थीं। अपीलार्थी के अधिवक्ता द्वारा उजागर किए गए छोटे-मोटे विरोधाभास और विसंगतियां महत्वहीन हैं क्योंकि वे अभियोजन पक्ष के मामले के मूल को प्रभावित नहीं करते हैं। इलाके से स्वतंत्र सरकारी साक्षियों की जांच न करना घातक नहीं है। जिन ईंटों/पत्थरों से चोटें पहुंचाई गई थीं, उनकी बरामदगी न होना अन्वेषक अधिकारी की ओर से एक चूक है जिसके लिए साक्षियों को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है और उनके बयानों पर अविश्वास या संदेह नहीं किया जा सकता।

8. अपीलार्थी द्वारा दिया गया प्रतिवाद विरोधाभासी और विरोधात्मक है। धारा 313 के बयान में अपीलार्थी ने उस स्थान पर अपनी उपस्थिति से इनकार नहीं किया, जहां वह पानी लेने गया था। उसने दावा किया कि जब वह पानी की टंकी से पानी ले रहा था, तो शिकायतकर्ता पक्ष द्वारा जबरन बर्तन हटा दिए गए और उसके साथ मारपीट की गई तथा उसे घायल कर दिया गया। प्रतिरक्षा साक्षियों द्वारा पूर्ण रूप से विरोधाभासी विवरण दिया

गया। ब.सा.-1 (रहमित उल्लाहा) दिनांक 19.05.2000 को पेश हुआ और उसकी आगे की परीक्षा स्थगित कर दी गई। यद्यपि, उसने फिर से पेश होने का विकल्प नहीं चुना। ब.सा.-2 (सूरज पाल) और ब.सा.-3 (चमन लाल) ने अभिसाक्ष्य दिया कि मौके पर झगड़ा हुआ था जब शिकायतकर्ता ने प्राथमिकता के आधार पर पानी लेने का प्रयास किया और टैंकर पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा इसका विरोध किया गया। इसके परिणामस्वरूप विवाद हुआ और दोनों पक्षकारगण ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। राशिद ने पत्थरबाजी में भाग नहीं लिया। वह मौके पर साइकिल से आया और उसकी गर्दन पर ईंट के बल्ले से चोट लग गई। चोट लगने के बाद वह गिर गया और पुलिस उसे मौके से पूछताछ के लिए ले गई। जाहिर है, साक्षियों द्वारा किया गया विवरण अपीलार्थी द्वारा अपने 313 बयान में दिए गए प्रतिवाद के साथ-साथ अभियोजन पक्ष के साक्षियों द्वारा प्रतिपरीक्षा में दिए गए सुझावों के विपरीत है। यह दर्शाने के लिए कुछ भी अभिलिखित नहीं है कि अपीलार्थी को चिकित्सा परीक्षा हेतु कब अस्पताल ले जाया गया था। जिस डॉक्टर ने उसकी चिकित्सा परीक्षा की, उसे प्रतिरक्षा में पेश नहीं किया गया। बचाव पक्ष का बयान भरोसा नहीं जगाता और उसे पूर्ण रूप से अस्वीकार किया जाना चाहिए।

9. आक्षेपित निर्णय साक्ष्य के निष्पक्ष अंकन पर आधारित है और अपीलार्थी के सभी प्रासंगिक तर्कों पर विचार किया गया है। मुझे विचारण

न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों में हस्तक्षेप करने के लिए कोई ठोस कारण नहीं मिला। चूंकि, अभि.सा.-2 (घनश्याम) को स्थूल वस्तु से "साधारण" प्रकृति की चोटें लगी थीं, इसलिए उसके द्वारा किया गया अपराध भा.दं.सं. की धारा 323 के अंतर्गत आता है। भा.दं.सं. की धारा 324 के अंतर्गत दोषसिद्धि को भा.दं.सं. की धारा 323 में परिवर्तित किया जाता है।

10. अपीलार्थी को कुल 1,500 रुपये जुर्माने के साथ सात वर्ष के लिए सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई थी, दिनांक 03.11.2000 की नामावली से पता चलता है कि उसने दिनांक 30.10.2000 तक आठ महीने और चौदह दिन का कारावास झेला है। नामावली से यह भी पता चलता है कि वह किसी अन्य आपराधिक मामले में शामिल नहीं है और उसका कुल मिलाकर जेल आचरण संतोषजनक था। घटना के दिन उसकी उम्र लगभग 18/19 वर्ष थी। झगड़ा पानी पाने के एक मामूली मुद्दे पर अचानक हुआ था। कोई पूर्व योजना नहीं थी और अपराध के हथियार के रूप में छत पर मौजूद ईंटें इस्तेमाल की गईं। अपीलार्थी ने लगभग पंद्रह वर्षों तक विचारण/अपील की यातना झेली है। उसका पिछला इतिहास साफ है। पक्षकारगण के मध्य पहले से कोई शत्रुता नहीं थी और वे इलाके में पड़ोस में रहते थे। परिस्थितियों को कम करने के लिए दंडादेश के आदेश को संशोधित किया जाता है और अपीलार्थी के मुख्य दंडादेश को भा.दं.सं. की धारा 304 के अंतर्गत पांच वर्ष

और भा.दं.सं. की धारा धारा 323 के अंतर्गत छह महीने तक घटा दिया जाता है। दंडादेश के आदेश की अन्य शर्तों को अपरिवर्तित रखा गया है।

11. अपील का निपटान उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है। अपीलार्थी को शेष दंडादेश भोगने के लिए दिनांक 31.01.2014 को विचारण न्यायालय के समक्ष अभ्यर्पण करने का निर्देश दिया जाता है। विचारण न्यायालय का रिकॉर्ड तुरंत वापस भेजा जाए।

**(एस.पी. गर्ग)**
**न्यायाधीश**

**24 जनवरी, 2014***/त्रि.*

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

***अस्वीकरण :*** *देशी भाषा में निर्णय का अनुवाद मुकद्दमेबाज़ के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा| समस्त कार्यालयी एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।*